उत्तर प्रदेश सरकार

पशुधन विभाग

अनुभाग–1

अधिसूचना

6 जुलाई 1991 ई0

सं0 2956/12–घ–1–91–भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 65 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बातते हैं :–

उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली 1990

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावाली 1990 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक के प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषाएं–(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो , इस नियमावली में,

(क)"अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984)से है।

(ख)" निर्वाचन या पुनः निर्वाचन" का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद में निर्वाचन या पुनः निर्वाचन से है।

(ग)"प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न पत्र से है।

(घ)"नाम निर्देशन या पुनः नाम–निर्देशन का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद में नाम– निर्देशन या पुनः नाम निर्देशन से है,

(ड़)" रजिस्ट्रार" का तात्पर्य राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार से है।

(च)" राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(छ)"धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है,

(ज)"अधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकरण से है,

(झ) इस नियमावली में प्रयुक्त बिन्दु पृथक् से अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ जो अधिनियम में उनके लिए दिए गये हैं।

राज्य पशुचिकित्सा परिषद में सदस्यों का निर्वाचन

(धारा 37)

3–निर्वाचन की सूचना–धारा 32 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार निर्वाचन के प्रस्तावित दिनांक के संबंध में राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों की सूचना के लिए स्थानीय समाचना पत्रों में सूचना प्रकाशित करेगी।

4– निर्वाचक नामावाली का तैयार किया जाना–नियम 3 के अधीन सूचना के प्रकाशन के पश्चात यथाशाक्य शीघ्र रजिस्ट्रार निर्वाचक नामावली तैयार करेगा जिसमें पशुचिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत समस्त पशुचिकित्सा व्यवसायियों का नाम और पता उल्लिखित किया जायेगा।

5– निर्वाचन नामावली का प्रकाशन–रजिस्ट्रार नियम 4 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचक नामावली को प्रकाशित करेगा और राज्य पशुचिकित्सा परिषद के कार्यालय

IndiaCode

में उसकी एक प्रति प्रदर्शित कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायेगा।

6–दावे और आपत्तियां–निर्वाचम नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने का प्रत्येक दावा और उसमें की सभी किसी प्रविष्टि पर प्रस्येग आपत्ति नियम 5 के अधीन निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर कमशः एक और दो में की जाएगी।

7– दावा और आपत्ति के प्रपत्र और उनके निस्तारण की रीति–(1) प्रपत्र एक में प्रत्येक दावे पर रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

(2)प्रपत्र दो में प्रस्येक आपत्ति से रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी जिनका नाम निर्वाचक नामावली में पहले ही सम्मिलित कर दिया गया है और उस पर ऐसे किन्हीं अन्य रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित किया गया हो।

(3) दावों और आपत्तियों पर रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जायेगा जो किसी दावे की अनुमति दे सकता है या अस्वीकार करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकता है।

(4) किसी दावे या आपत्ति की अनुमति देने या अस्वीकार करने के संबंध में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

8–नामावली का अन्तिम प्रकाशन–(1) रजिस्ट्रार ऐसे संशोधनों यदि कोई हो के पश्चात जिन्हें वह आवश्यक समझे अन्तिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) उपनियम(1) के अधीन प्रकाशित अन्तिम निर्वाचक नामावली की एक प्रति राज्य सरकार का भेजी जायेगी।

9–रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी–(1) राज्य सरकार, नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित निर्वाचक नामावली की एक प्रति प्राप्त करने के पश्चात एक रिटर्निंग अधिकारी पदानिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्ति कर सकती है जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में रिटर्निंग अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करेगें और जो राज्य सरकार के अधिकारी होगें।

(3) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी नियंत्रण के अधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए सक्षम होगें :

परन्तु कोई सहायक रिटर्निंग अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी के ऐसे किन्हीं कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा जो मतपत्रों को देपे मतपत्रों को गिनते या निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से संबंधित हो।

10– नाम निर्देशन नामांकन आदि के लिक दिनांक का निर्धारण–(1) रिटर्निंग अधिकारी सरकारी गजट में या किसी स्थानीय समाचार पत्र में या ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझें, प्रकाशित अधिसूचना द्वारा–

(एक) नाम निर्देशन के लिए दिनांक निर्धारित करेगा जो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक का सातवां दिन या यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(दो)अभ्यर्थिता वापस लेने का दिनांक निर्धारित करेगा जो नाम निर्देशन की संवीक्षा के दिनांक का दूसरा दिन होगा या यदि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी हो तो अगला कार्य दिवस होगा।

(तीन) मतदान का यदि आवश्यक हो, दिनांक निर्धारित करेगा जो अभ्यर्थिता वापस लेने के दिनांक से तीन दिन की समाप्ति के पूर्व न होगा।

(चार) मतों की गणना करने के लिए और परिणाम की घोषणा करने के लिए जो मतदान के दिनांक से तीन दिन के भीतर होगी, दिनांक समय और स्थान निर्धारित करेगा।

10–(2) उपनियम (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में राज्य परिषद में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों

IndiaCode

का स्थान विनिर्दिष्ट होगा जहां नाम निर्देशन पत्र परिदत्त किये जायेगें।

11–विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाये और उनका प्रस्तुतीकरण–(1) निमय 10 के अधीन नाम निर्देशन के लिए निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्यो अभ्यर्थी रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक सहित एक रजिस्ट्रीकृत पत्र प्रपत्र तीन में सम्यक् रूप से भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी को भेजना या स्वयं उसे देगा।

(2)–प्रस्येक नामनिर्देशन पत्र पर दो मतदाताओं द्वारा एक प्रस्तावक के रूप में और दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किया जायेगा और अभ्यर्थी द्वारा अनुमति दी जायेगी :

परन्तु कोई मतदाता प्रस्तावक या समर्थक के रूप में भरी जाने वाली सीटों की संख्या से अधिक नामनिर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई मतदाता भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में, यथास्थिति प्रस्तावक या समर्थक के रूप में नाम निर्देशन पत्रों पर हस्ताक्षर करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर प्रथम प्राप्त नामनिर्देशन पत्र, यदि वे अन्यथा ठीक हैं, विधिमान्य समझे जायेगें और ऐसे समस्त अन्य नामनिर्देशन पत्र, जो उसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित और साथ'–साथ प्राप्त किये गये हैं, अधिमान्य समझे जाएगें।

12– नामनिर्देशन पत्र का अस्वीकार किया जाना– ऐसे किसी नामनिर्देशन पत्र की, जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस निमित्त निर्धारित नाम निर्देशन करने के दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा, अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13–नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा–(1) नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियम दिनांक और समय की अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों के ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जो उसके द्वारा उपर्युक्तानुसार प्राप्त हुए हों, परीक्षण करने की अनुमति देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों का परीक्षण करेगा और किसी नाम निर्देशन पत्र की विधिमान्यता के सबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रश्नों की विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

14–अभ्यर्थिता वापस लेना–(1) कोई अभ्यर्थी नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (दो) के अधीन निर्धारित दिनांक को या उसके पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित सूचना देकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, ऐसी वापसी को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15–निर्वाचन लाने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन–(1) ऐसी अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जिसके भीतर अभ्यर्थी नियम 14 के अधीन अपने नाम निर्देशन वापस ने सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा जिनके नामनिर्देशन विधिमान्य हैं और जिन्होंने उक्त अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है।

(2) उपनियम(1) के अधीन तैयार की गयी सूची में निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के नाम (वर्णमाला कम में) और पते होगें व जैसा कि नाम निर्देशन में दिया गया है।

(3)उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची को गजट में और उसका ऐसी रीति से जैसा रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे, व्यापक प्रचार किया जाएगा।

16– मतदान –(1)यदि निर्वाचन के लिए सम्यक्–रूप से नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी तुरन्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए नियत दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व विदेश में निवास करने वाले या व्यवसाय करने वाले प्रत्येक निर्वाचक हवाई डाक द्वारा और देश के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक अन्य निर्वाचक को डाक द्वारा प्रपत्र चार में मतपत्र और साथ–साथ प्रपत्र पांच में संख्यांकित घोषणा पत्र, प्रपत्र छः में सूचना का एक पत्र जिसमें वर्णमाला कम में अभ्यर्थियों के नाम होंगे और उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप होगा। रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित मतपत्र आवरण और उक्त अधिकारी को सम्बोधित एक अन्य आवरण भी भेजा जायेगा।

{क} प्रतिबन्ध यह है कि रिटर्निंग अधिकारी की आवेदन करने पर किसी निर्वाचक को मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्र रिटर्निंग अधिकारी को यह समाधान

हो जाने पर कि पत्रादि उसे नहीं भेजे गये हैं, मतदान के लिए नियत दिनांक के पूर्व भेजे जा सकते हैं।

(3) निर्वाचक को भेजे गये ऐसे प्रत्येक सूचना पत्र से सम्बन्ध में डाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा,

(4)ऐसा कोई निर्वाचक जिसने डाक द्वारा भेजे गये मतपत्र और अन्य समबिन्धत पत्रादि प्राप्त नहीं किये हैं या जिसने उन्हें खों दिया है या जहाँ रिटर्निंग अधिकारी को पत्रादि लौटाने के पूर्व असावधानी से खराब हो गये हैं तो इस आशय का लिखित रूप में घोषणा पत्र भेज सकता है और मतदान के लिए नियत दिनांक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी से पत्रादि भेजने के लिए अनुरोध कर सकता है और यदि बचे पत्रांदि खराब हो चुके हैं तो खराब पत्रादि रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर दिया जायेगा और जिन्हें प्राप्त होने पर वह रद्द कर देगा।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें नये पत्रादि जारी किये गये हैं, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के नाम से सम्बन्धित संख्या पर यह बताने के लिए निर्वाचक नामावली कि उसे गये पत्रादि जारी कर दिये गये हैं, एक चिन्ह लगाया जायेगा।

(6)किसी मतदाता द्वारा मतपत्र और अन्य सम्बन्धित पत्र प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा।

(7) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले हों और मत अनन्तरणीय होगा।

(8) अपने मत का अभिलेख कराने के लिए इच्छुक प्रत्येक निर्वाचक सूचना पत्र (प्रपत्र चार) में दिये गये निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र(प्रपत्र पांच) और मतपत्र (प्रपत्र छः) भरने के पश्चात मतपत्र आवरण में मतपत्र संलग्न करेगा, उक्त आवरण को घोषणा पत्र सहित रिटर्निंग अधिकारी को सम्बोधित बाहरी लिफाफा में चिपकाएगा और संल्गन करेगा और उस बाहरी लिफाफे को निर्वाचक के निजी खर्च पर डाक द्वारा या हाथो–हाथ स्वयं रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा जिससे कि वह मतदान के लिए निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय तक पहुंच जाए।

(9) घोषणा पत्र वाले लिफाफे और मतपत्र वाले बन्द आवरण को डाक द्वारा या स्वयं द्वारा प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी बाहरी लिफाफे पर उसकी प्राप्ति का दिनांक और समय पृष्ठांकित करेगा।

(10) मतदान के लिए निर्धारित दिनांक और समय के पश्चात समस्त लिफाफे अस्वीकार कर दिये जायेगें।

17–आवरण का खोला जाना–(1) रिटर्निंग अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित दिनांक को मतदान समाप्ति के लिए नियत समय के तुरन्त पश्चात बाहरी लिफाफे पर उसकों सम्बोधित स्थान पर खोलेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने द्वारा सम्यक् रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिधि की उस समय जब बाहरी लिफाफे खोले जाएं उपस्थित होने के लिए भेज सकता है।

18–मतपत्र आवरणों का अस्वीकार किया जाना–(1) किसी मतपत्र को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, यदि–

(क) बाहरी लिफाफे में मतपत्र आवरण के बाहर कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ख) रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया वही घोषणा पर न हो, या

(ग) घोषणा पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या

(घ) मतपत्र आवरण के बाहर मतपत्र रखा गया हो, या

(ड) एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र आवरण संलग्न किये गये हों।

(2) अस्वीकार किये जाने` प्रत्येक मामले में, मतपत्र आवरण और घोषणा–पत्र पर शब्द "अस्वीकृत" पृष्ठांकित किया जायेगा। अस्वीकृत किये जाने के कारण भी संक्षेप में मतपत्र आवरण पर अभिलिखित किये जायेगे।

(3) अपना समाधान करने के पश्चात कि निर्वाचकों ने घोषणा पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं,रिटर्निंग अधिकारी नियम 21 के अधीन निस्तारण होने तक समस्त घोषणा पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

19–(1) मतों की संवीक्षा और गणना–मतों की गणना के लिए नियम दिनांक को, नियम 18 के अधीन अस्वीकृत किये गये मतपत्र आवरणों से भिन्न मतपत्र आवरणों को खोला जायेगा और मतपत्रों को निकाला जायेगा और उन्हें एक साथ मिला दिया जायेगा।

(2) तत्पश्चात मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी और विधिमान्य मतों की गणना की जायेगी।

(3)गणना की प्रकिया का निरीक्षण करने के लिए कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकता है लिखित और सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है।

(4) कोई मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदिः

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप नहीं है, या

{ख}कोई मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है या उस पर कोई ऐसा चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचान हो जाए कि वह उसका मतपत्र है, या

{ग} उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाए,या

{घ} वह अभिलिखित मत की अनिश्चितता के कारण शून्य है, या

{ङ} उस पर अभिलिखत मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने की संख्या से अधिक हो, या

{च} मतो का अभिलेखन इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित स्थान से भिन्न स्थान पर किया गया हो।

(5) रिटर्निंग अधिकारी मतो की संवीक्षा और गणना के समय अनुरोध किये जाने पर मतपत्रों को अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को दिखायेगाः

(6) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि मतपत्र को इस आधार पर स्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है कि वह मत पत्र विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता हे या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तुरन्त विनिश्चय किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

20– परिणाम की घोषणा–(1) जब मतो की गणना पूरी हो जाए तब रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उच्चतम मतों के क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची बनायेगा और उस क्रम में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार घोषित करेगा।

(2) यदि इस प्रकार घोषित किया गया निर्वाचित कोई अभ्यर्थी निर्वाचन स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों में से ऐसा अभ्यर्थी जिसने उसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किये हों, निर्वाचित उसके बाद सबसे अधिक मत प्राप्त किये हों, निर्वाचित समझा जायेगा और जब कभी भी इस प्रकार रिक्ति हो जाए तो इसके लिए भी यह प्रकिया अपनायी जायेगी।

(3) जब दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मतों की संख्या बराबर–बराबर हो, तब यथास्थिति , ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को जिसे या जिन्हें निर्वाचित समझा जायेगा उनके निर्वाचन की अवधारणा रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पर्ची डालकर ऐसी रीति से किया जायेगा जैसी वह अवधारित करे।

(4) जैसे ही परिणाम की घोषणा कर दी जाए रिटर्निंग अधिकरी प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को राज्य पशु चिकित्सा परिषद में उसके निर्वाचित हो जाने की सूचना तुरन्त देगा।

21– मतपत्रों का रखा जाना–(1) मतगणना पूरा होने पर और परिणाम की घोषणा करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य दस्तावेजों को मुरहबन्द करेगा और उन्हें छः मास की अवधि के लिए रखेगा और उक्त छः मास की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के इन अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगा और न नष्ट करायेगा।

22– निर्वाचन के परिणाम की सूचना–(1)रिटर्निंग अधिकारी अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार को निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की समचना गजट में प्रकाशन के लिए देगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में जिसे उस निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पन्द्रह दिन के भीतर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, उसे अधिनियम की धारा 37 के अधीन विनिश्चय के लिए राज्य सरकार की निर्दिष्ट किया जायेगा।

अध्याय–तीन

राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन

(धारा 36)

23–राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों का रजिस्टर– राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कार्यालय प्रपत्र सात में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समय–समय पर निर्वाचित या उसमें नाम निर्देशित सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरे दिये जायेगें।

24– राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया–(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जायेगा। निर्वाचन उक्त परिषद के यथास्थिति गठन या पुनर्गठन के पश्चात उसकी प्रथम बैठक में किया जायेगा।

(2) रजिस्ट्रार उस बैठक में उपस्थित सदस्यों को अध्यक्ष के पद के लिए अपने नाम निर्देशन के लिए आमंत्रित करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन का समर्थन उस बैठक में उपस्थित किसी अन्य सदस्य द्वरा समर्थक के रूप में किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की अभ्यर्थिता के लिए एक से अधिक सदस्य को न तो नाम निर्दिष्ट करेगा और न उसका समर्थन करेगा।

(3) यदि इस प्रकार केवल एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट हो तो वह राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(4) फिर भी यदि अध्यक्ष की अभ्यर्थिता के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट और समर्थित एक से

IndiaCode

अधिक सदस्य हों तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित रीति से मतदान कराने की कार्यवाही करेगा :

(क) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक पर्ची दी जायेगी जिस पर सदस्य उस प्रतियोगी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में वह अपना मत डालना चाहता है तत्पश्चात् वह पर्ची की मोडेगा और उसे रजिस्ट्रार को दे देगा।

(ख) समस्त पर्चियाँ प्राप्त हो जाने पर रजिस्ट्रार प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या गिनेगा और उस सदस्य की जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

(ग) यदि दो या अधिक प्रतियोगी बराबर–बराबर मत प्राप्त करते हैं जिससे कि यह विनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि किसने अधिकतम मत प्राप्त किये हैं तो रजिस्ट्रार ऐसे मामले का विनिश्चय ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, पर्ची डालकर कर सकता है और इस प्रकार पर्ची द्वारा अभिज्ञात सदस्य की राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

अध्याय–4

राज्य पशुचिकित्सा परिषद के कार्य का सम्पादन की प्रकिया

धारा 38(6)

25– कार्य का समय और स्थान–(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कार्य सम्बन्धी बैठके साधारणतया प्रत्येक तीन माह में एक बार ऐसे समय और स्थान पर की जायेगी। जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि चयनित स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर होगा।

(2) राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष उक्त परिषद के कार्य सम्बन्धी किसी बैठक के दौरान उसकी अगली बैठक के लिए दिनांक का विनिश्चय कर सकता है।

(3) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की कोई विशेष बैठक, यदि आवश्यक समझी जाये अध्यक्ष द्वारा सात दिन की सूचना पर किसी भी समय बुलायी जायेगी।

(4)राज्य पशुचिकित्सा परिषद की प्रथम बैठक जो किसी वित्तीय वर्ष में हुई हो वह राज्य पशुचिकित्सा परिषद की उस वर्ष की वार्षिक बैठक समझी जाएगी।

(5) उपनियम(3) के अधीन बुलायी गयी किसी विशेष बैठक से भिन्न बैठक का कार्यवत्तृ राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येग सदस्य को रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं दिया जाएगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा उन्हें उक्त बैठक के पश्चात कम से कम तीस दिन के अन्दर संप्रेषित किया जायेगा।

(6)राज्य पशुचिकित्सा परिषद की किसी साधारण त्रैमासिक बैठक की प्रारम्भिक कार्य–सूची पर कार्यक्रमों के मदों की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों की बैठक के बहुत पूर्व और किसी भी स्थिति में बैठक के लिए निर्धारित दिनांक के कम से कम तीस दिन पूर्व दी जायेगी।

(7)फिर, भी किसी विशेष बैठक की स्थिति में, रजिस्ट्रार उस बैठक के लिए निर्धारित दिनांक के कम से कम सात दिन पूर्व उक्त बैठक के लिए सूचना के साथ– साथ उस बैठक के प्रस्तावित कार्य–सूची पर कार्यक्रम की मदे भेजेगा।

(8) ऐसा कोई सदस्य जो किसी साधारण बैठक की कार्य–सूची में सम्मिलित न किये गये किसी, प्रस्ताव को रखना चाहता हे या इस प्रकार सम्मिलित की गयी कार्य–सूची के किसी मद में संशोधन करना चाहता हे तो उसकी लिखित सूचना रजिस्ट्रार को बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व देगा। तत्पश्चात रजिस्ट्रार राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष की सहमति से बैठक के लिए अन्तिम कार्य–सूची में ऐसे किसी अनुरोध को स्थान देगा।

26–कार्य सत्र– राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता उसका अध्यक्ष उपस्थिति होने पर ब्योरा या उसकी अनुपस्थिति की दशा में उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये किसी अन्य सदस्य द्वारा की जायेगी।

27–गणपूर्ति–(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद की किसी बैठक में कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक गणपूर्ति छः होगी अर्थात संख्या के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(2) यदि किसी बैठक के लिए नियत समय पर गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक गणपूर्ति के पूरी होने तक प्रारम्भ नहीं होगी और यदि बैठक के नियत समय से एक घन्टे की समाप्ति पर भी गणपूर्ति पूरी न हो तो बैठक उसी तिमाही में ऐसे भावी दिनांक और समय के लिए स्थगित कर दी जायगी जैसा राज्य पशुचिकित्सा परिषद का अध्यक्ष नियत करें।

28–कार्यकलाप(1) ऐसे सभी प्रश्न जो राज्य पशुचिकित्सा परिषद के किसी बैठक के समक्ष आये उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान द्वारा विनिश्चत किये जायेगें।

(2) मतो की बराबरी की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा।

(3) राज्य पशुचिकित्सा परिषद के प्रत्येक बैठक के चाहे साधारण हो या विशेष कार्यवृत्त की एक

IndiaCode

व बैठक के दो दिन के भीतर उसके अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अभिप्रमाणित करने के पश्चात प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी जैस कि नियम 25 के उपनियम(5) के अधीन व्यवस्थित है।

अध्याय–पाँच
कार्यपालिका और अन्य समितियाँ (धारा 40)

29–कार्यपालिका समिति और अन्य समितियाँ–(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 40 के अधीन अपरे सदस्यों में से एक कार्यपालिका समिति और अन्य समितियाँ ऐसे प्रयोजनों के लिए,जैसा वह आवश्यक समझे, इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण पर गठित कर सकती है और उक्त प्रस्ताव में स्वयं ऐसे प्रत्येक समिति का प्रयोजन और कृत्य परिनिश्चित कर सकती है।

(2)राज्य पशुचिकित्सा परिषद कार्यपालिका समिति से भिन्न किसी समिति में किसी विषय पर सलाह देने के लिए विशेष रूप से अर्ह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस निमित्त किसी प्रस्ताव के अंगीकरण द्वारा सहयोजित भी कर सकती है।

(3)यथास्थिति कार्यपालिका समिति या किसी अन्य समिति की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति उसके गठन के समय विनिर्दिष्ट की जायेगा। गणपूर्ति इस सम्बन्ध में नियत सदस्यों के साधारण गहुमत से कम नहीं होगी।

(4)इस प्रकार गठित कार्यपालिका समिति और अन्य समितियां राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार को ऐसे प्रस्ताव में जिसमें समिति का गठन किया गया है, निर्दिष्ट विषयों पर प्रस्ताव में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट करेगी।

(5) आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय उपनियम (1) के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद द्वारा गठित किसी समिति के समय को बढाया नहीं जायेगा।

(6)रजिस्ट्रार राज्य पशुचिकित्सा परिषद की अगली बैठक में उसके समक्ष समिति की उक्त रिपोर्ट रखेगा।

अध्याय–छः
फीस और दैनिक भत्ता–(1)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष और राज्य सरकार के पदाधिकारियों और पदेन सदस्यों के भिन्न अन्य सदस्यों को, यथास्थिति राज्य पशुचिकित्सा परिषद या समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्रयोज्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों की समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा जैसा कि राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों को अनुमन्य हो।

(3)राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पदेन सदस्य, फिर भी, ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होगें जैसा उन्हें यथास्थिति उनके पैतृत विभाग या संगठन के नियमों के अनुसार अनुमन्य हों।

31–फीस–(1) राज्य पशुचिकित्सा परिषद या कार्यपालक समितियों या अन्य समितियों की बैठकों मं उपस्थित होने के लिए राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्य या पदेन सदस्य (अध्यक्ष से भिन्न) को पचास रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

(2)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के अध्यक्ष को यदि यह राज्य राजय सरकार का पदाधिकारी नहीं है, राज्य पशुचिकित्सा परिषद की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए एक सौ रूपये की फीस और किसी समिति की बैठकों में उपस्थिति होने के लिए पचास रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(3)जहां राज्य पशुचिकित्सा परिषद का कोई सदस्य नियम 26 के अधीन उसकी किसी बैठक की अध्यक्षता करता है, वहां उसे एक सौ रूपये की फीस का भुगतान किया जायेगा।

अध्याय–सात
रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें (धारा 42 (2)

32–राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार और परिषद के द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें इस नियमावाली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वही होगी जैसा राज्य सरकार की सेवा नियमों के अधीन उसी प्रारिथति के राज्य सरकार के पदाधिकारियों पर प्रयोज्य हों।

अध्याय–आठ
राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर

33–यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य पशुचिकित्सा परिषद जैसा कि अधिनियम की धारा 44 के अधीन उपबन्धित है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रपत्र आठ में राज्य पशुचिकित्सा या रजिस्टर रखेगी जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य सुसंगत विशिष्टियां होंगी जो मान्यताप्राप्त पशुचिकित्सा अर्हताये रखते हों और अधिनियम के अधीन राज्य पशुचिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों।

34–प्रथम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन–पत्र और रजिस्ट्रीकरण फीस (धारा 45)–(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो

मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा आर्हता रखता है और उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी है और जो राज्य पशुचिकित्सा परिषद में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराना चाहता है, रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 45 अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण अधिकरण को आवेदन करेगा, आवेदन–पत्र रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद को सम्बोधित होगा और उसके साथ पच्चीस रूपये की रजिस्ट्रीकरण फीस होगी।

(2) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम प्रविष्ट होने पर रजिस्ट्रार उसे प्रपत्र उस में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

35–रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीनीकरण फीस (धारा 48)–(1) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में नाम को बनाये रखने के लिए किसी व्यक्ति को राज्य पशुचिकित्सा परिषद को पांच वर्ष पर पन्द्रह रूपयेका रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण फीस उस वर्ष के जिसमें उसे रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण कराना हो, पहली अप्रैल के पूर्व भुगतान करना–पडेगा।

(2)राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में फीस व पुनः स्थापना (धारा–50)–राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर से हटाये गये किसी व्यक्ति के नाम को पुनः स्थापित करने के लिए पन्द्रह रूपये फीस होगी।

36–राज्य पशुचिकित्सा की मुद्रित प्रति की लागत (धारा–51) राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर की मुद्रित प्रतियां दस रूपया प्रति कापी की दर प्रभार का भुगतान करने पर उपलब्ध करायी जायेगी।

37–प्रमाण पत्रों की दूसरी प्रति को जारी किया जाना–

(1)राज्य पशुचिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार द्वारा यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति दस रूपये की फीस का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।

(2)उक्त प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्रपत्र ग्यारह में होगी।

टिप्पणी– राज्य पशुचिकित्सा परिषद को भुगतान की गयी फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

प्रपत्र एक

निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए दावा

(नियम 6 और 7 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने का अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली 1990 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूँ। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिये गये हैं

नाम(बडे अक्षरों में).....

पता.....

शैक्षिक अर्हताएं.....

पद नाम और कार्यालय का पता यदि कोई हो.....

दावा के लिए आधार.....

(सबूत सहित यदि कोई हो).....

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ.....राज्य में निवास करता हूँ और उत्तर प्रदेश में पशुचिकित्सा औषधि का व्यवसाय करता हूँ, नियोजित हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

(दावेदार का हस्ताक्षर)

निर्वाचक नामावली के प्रारूप में किसी प्रविष्टि पर आपत्ति
(नियम 6 और 7 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के आगामी निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्तावित निर्वाचक नामावली के प्रारूप में निम्नलिखित प्रविष्टि पर अपनी आपत्ति उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद नियमावली,1990 के नियम 6 और 7 के अधीन प्रस्तुत करता हूँ।

1–उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम की निर्वाचक नामावली के प्रारूप में प्रविष्टि पर आपत्ति की गयी है(बडे अक्षरों में).....

2–उस प्रविष्टी की विशिष्टियां जिस पर आपत्ति की गयी है.....

3– प्रविष्टि पर आपत्ति के आधार.....

स्थान.....

दिनांक.....

(आपत्ति कर्ता का हस्ताक्षर)

आपत्तिकर्ता की क्रम–संख्या
और उसका नाम जैसा कि
निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है.....
आपत्तिकर्ता का पता.....

स्थान.....

दिनांक.....

.....
(प्रतिहस्ताक्षर)

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले
व्यक्ति की क्रम संख्या और नाम जैसा कि
निर्वाचक नामावली के प्रारूप में है.....
प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता.....

प्रपत्र–तीन
नाम निर्देशन पत्र
(नियम 11 देखिए)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन

1–अभ्यर्थी का नाम.....
2–पिता का नाम.....
3–आयु और जन्म तिथि.....
4–अर्हता की प्रकृति.....
5–रजिस्ट्रीकृत संख्या (राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में).....
6– राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर या उसके
अनुपूरक(वर्ष उल्लिखित किया जाए) में पृष्ठ संख्या जिस पर नाम हो.....
7–नामावली में क्रम संख्या.....

IndiCode

8–पता गृह संख्या, खण्ड /गली संख्या, ग्राम/कस्बा

.....

डाकघर.....

पिन कोड.....

9–प्रस्तावक का नाम.....

10–प्रस्तावक का हस्ताक्षर.....

11–राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर मे प्रस्तावक की रजिस्ट्रीकृत संख्य और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाए) में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो.....

12–नामावली में कम संख्या.....

13–समर्थक का नाम.....

14–समर्थक के हस्ताक्षर.....

15–राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर मे समर्थक की कम संख्या और उक्त रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाए) में पृष्ठ संख्या जिसमें नाम हो.....

16–नामावली में कम संख्या.....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नाम निर्देशन पत्र मेरे द्वारा.....(स्थान) पर.....(दिनांक) को.....) बजे प्राप्त किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुदेश

ऐसे नाम निर्देशन पत्र जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक.....को बजे.....से पूर्व प्राप्त अविधिमान्य समझे जायेंगे।

प्रपत्र चार

मतपत्र

(नियम 16(2) देखिए)

मतपत्र की कम संख्या.....

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52,सन1984) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद में सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं :

कम संख्या	सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों के नाम और पते	मत
1.		
2.		
3.		
4.		

रिटर्निंग अधिकारी का अद्याक्षर /उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूद्ध

अनुदेश

1–प्रत्येक मतदाता की उतने अभ्यर्थियों को मत देने का अधिकार होगा जितने निर्वाचित किये जाने वाले की संख्या हो।

2– वह उस/उन अभ्यर्थी(अभ्यर्थियों) के जिसे (जिन्हें) बनाकर वह पसन्द करता है नाम के सामने × मत देगा।

3–मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा यदि–

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो, या

IndiaCode

(ख) मतदाता उस पर अपना हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या कोई चिन्ह बनाता है जिससे उसकी पहचान हो जाए कि वह उसका मतपत्र है, या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाए, या

(घ) यदि चिन्ह × इस प्रकार लगाया जाए जिससे यह सन्देह हो कि वह किस अभ्यर्थी के लिए अभिप्रेत है यदि उसे निर्वाचित किये जाने के लिए अपेक्षित अभ्यर्थियों की संख्या इंगित की जाए संख्या से अधिक संख्या के नामों के सामने लगाया जाए।

प्रपत्र पाँच
घोषणा पत्र
(नियम 16(2) देखिए)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन

मतदाता का नाम.....

राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर संख्या और इस रजिस्टर या उसके अनुपूरक (वर्ष उल्लिखित किया जाए) मे पृष्ठ संख्या जिस पर नाम हो

मतदाता का घोषणा

मैं.....(पूरा नाम और पदनाम यदि कोई हो) घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद में सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदाता हूँ और यह कि मैंने इस निर्वाचन में कोई अन्य मतपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

केन्द्र.....

दिनांक.....

मतदाता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–छः
सूचना का पत्र
(नियम 16(2) देखिए)

श्रीमान/श्रीमती.....

ऐसे व्यक्ति जिनका नाम संलग्न मतपत्र पर मुद्रित है, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (अधिनियम संख्या 52,सन1984) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किये गये हैं यदि आप निर्वाचन में मत देने की इच्छा करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप.....

(क) घोषणा पत्र (प्रपत्र पांच) में भरेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेगें

(ख) मतपत्र (प्रपत्र चार) में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित स्तम्भ में अपना मत चिन्हित करेगें जैसा कि मतपत्र पर निर्देशित है।

(ग) अपेक्षाकृत छोटे आवरण में मतपत्र की संलग्न करेगें और चिपका देगें और

(घ) अपेक्षाकृत छोटे आवरण और घोषणा पत्र की बाहरी लिफाफे से संलग्न करेंगे जो अपेक्षाकृत बडा है और जिस पर मेरा पता पहले से मुद्रित है और उसे मेझे डाक द्वारा अपने खर्च पर वापस करेंगे या उसे मेरे कार्यालय में स्वयं देंगे जिससे वह दिनांक.....कोबजे अवश्य मेरे पास पहुंच जाए।

2–मत पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा यदि,

(क) बाहरी लिफाफा जिसके साथ मतपत्र आवरण और घोषणा पत्र संलग्न है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है या मेरे कार्यालय में स्वयं नहीं दिया जाता है मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होता है, या

(ख) बाहरी लिफाफे में अपेक्षाकृत छोटे आवरण के बाहर कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ग) मतपत्र मतपत्र आवरण के बाहर रखा गया हो, या

(घ) घोषणा पर वह न हो जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को भेजा गया हो, या

(ड) एक ही बाहरी लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र संलग्न किये गये हों, या

(च) घोषणा पत्र पर मतदाता द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो, या

(छ) मतपत्र अविधिमान्य हो।

3– कोई मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा यदि.....

(1) उस पर रिटर्निंग अधिकारी का आद्याक्षर या उसके हस्ताक्षर का प्रतिरूप न हो,

(2)मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर करता है या उस पर कोई शब्द लिखता है या उस पर कोई चिन्ह बनाता है जिससे पहचाना जा सके कि वह उसका मतपत्र है, या

(3) उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाये, या

(4) उस पर अभिलिखित मतो की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, या

(5) वह प्रयोग किये गये मत की अनिश्चितता से शून्य हो।

IndiaCode

4– यदि कोई मतदाता अनजाने से कोई मतपत्र खराब करता है तो वह उसे मतदान के लिए नियत दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को वापस कर सकता है जो यदि ऐसे अनजानेपन से सन्तुष्ट हो जाए तो से एक दूसरा मतपत्र जारी करेगा।

5– मतो की संवीक्षा और गणना दिनांक.....की..बजे से प्रारम्भ होगी।

6–रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे? अभ्यर्थियों या उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सिवाय कोई व्यक्ति संवीक्षा और गणना में उपस्थित नहीं होगा।

रिटर्निंग अधिकारी।

प्रपत्र सात

उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद के सदस्यों का रजिस्टर

(नियम 23 देखिए)

कम सं0	सदस्यों का नाम	पता	जन्म की तिथि	निर्वाचित है या नामनिर्दिष्ट	खंड जिसके अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					

सरकारी गजट में नाम की अधिसूचा की संख्या और उसका दिनांक	पद का कार्यकाल प्रारम्भ होने का दिनांक	पद की समाप्ति का नियत दिनांक	नियत दिनांक के पूर्व पद की समाप्ति का दिनांक और कारण यदि कोई हो	अभ्युक्ति यदि कोई हो
7	8	9	10	11

IndiaCode

प्रपत्र–आठ

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 44 के अधीन रखा गया उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर

क0सं0	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पूरा नाम	जन्म दिनांक	का राष्ट्रीयता	आवासीय पता	राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में प्रवेश का दिनांक
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

रजिस्ट्रीकरण के लिए आर्हता

आर्हता	दिनांक जब प्राप्त किया गया	अर्हता प्रदान करने वाला प्राधिकारी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय	वृत्तिक पता	स्थायी पता
7	8	9	10	11

अन्य शैक्षिक अर्हता यदि कोई हो

वर्तमान व्यवसाय

अर्हता	संस्था जिससे प्राप्त किया	वर्ष दिनांक सहित	सरकारी सेवा	प्राइवेट सेवा	सेवा निवृत्त	अभ्युक्ति
12	13	14	15	16	17	18

IndiaCode

प्रपत्र नौ

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशुचिकित्सा व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर

(नियम 34, देखिये)

सेवा में,

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद
लखनऊ।

महोदय,

मैं भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984(अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन आपके द्वारा रखे जाने वाले/रखे गये उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम पता, आर्हताएं और अन्य विशिष्टियों, जैसा नीचे दिया गया है, रजिस्ट्रीकृत करने और यथावधि पर ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आप से अनुरोध करता हूँ।

2– मैं आपके सत्यापन के लिए अपनी अर्हताओं के समर्थन में अपनी उपाधियां/डिप्लोमा मूल रूप में संलग्न करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि उन्हें मूझे वापस कर दिया जाए जब उनकी आवश्यकता न हो मैं आपके अभिलेख के लिए उनकी प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न करता हूँ।

3–.....रूपये की विहित रजिस्ट्रीकरण फीस भी इसके साथ संलग्न डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसकी संख्या.....और दिनांकहै के माध्यम से भेजी जाती है और उसे रेखांकित किया जाता है और आपकी.....पर देय किया जाता है।

4– मेरी ऊपर निर्दिष्ट विशिष्टियां निम्नलिखित हैं

(क) पूरा नाम (बडे अक्षरो में).....

(ख) जन्म का स्थान और दिनांक.....

(ग) राष्ट्रीयता.....

(घ) आवासीय पता.....

(ड) वृत्तिक पता.....

(च) पशुचिकित्सा आर्हता.....

आर्हता	उत्तीर्ण होने का दिनांक और वर्ष	विश्वविद्यालय या संस्था

(छ) अन्य शैक्षिक आर्हताएं यदि कोई हो.....

(ज) वर्तमान व्यवसाय (क) सरकारी सेवा

(ख) प्राइवेट कार्य.....

(ग) सेवा निवृत्त व्यक्ति.....

(झ) कोई अन्य सुसंगत सूचना.....

5– मैं प्रतिज्ञान करता हूँ कि ऊपर दी गयी समस्त विशिष्टियां सही हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

भवदीय

(आवेदक के हस्ताक्षर)

IndiaCode

प्रपत्र–दस

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

{ नियम 34 (2) देखिए)}

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन! 1984) की धारा 32 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद

(मुहर)

संख्या———— दिनॉक ————————

यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0 ————————————————————————

निवासी———————————— को रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) के अधीन ऐसे व्यवसायी की स्वीकृत समस्त सुविधाओं के हकदार हैं, उनकी रजिस्ट्रीकरण संख्या———————— हैं। उक्त अधिनियम के अधीन स्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में यह रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

इसके साक्ष्य में इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की मुहर लगायी जाती है और उक्त राज्य पशुचिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर किया जाता है।

(मुहर) (रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर)

प्रपत्र–ग्यारह

रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण के नवीकर का द्वितीय प्रमाण–पत्र

(नियम 37 देखिये)

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या– 52 सन् 1984) की धारा 32 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य पशुचिकित्सा परिषद्

(मुहर)

रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का द्वितीय प्रमाण–पत्र इसी पैटर्न पर होगा जैसा मूल प्रमाण–पत्र, परन्तु यह कि शब्द ''द्वितीय प्रति'' उक्त प्रमाण–पत्र के दाहिने कोने पर सबसे ऊपर लाल स्याही में मुद्रित होगा।